सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 09, शुक्रवार, शाके 1944-अप्रेल 29, 2022
Vaisakha 09, Friday , Saka 1944- April 29, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 28, 2022

जी.एस.आर.13 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 32 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,2021 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 32 के उप-नियम 2 में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ‘‘:‘‘ के स्थान पर विराम चिह्न ‘‘।‘‘ प्रतिस्थापित किया जायेगा;और

(ii) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष समूह कः प्रशासनिक विंग के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति ‘‘,उच्च माध्यमिक विद्यालय‘‘ हटायी जायेगी;

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 5और 6तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्ः-

‘‘

5.	प्राचार्य	-	100%	-	उप प्राचार्य	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद	1. प्रधान अध्यापक,माध्यमिक विद्यालय का पद मृत संवर्ग के रूप

						पर 3वर्ष का अनुभव।	में घोषित किया जाता है और उस पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जायेगी। 2. वर्ष 2021-22 के लिए प्राचार्य के पद पर एक बारीय उपाय के रूप में पदोन्नति निम्नानुसार की जायेगीः- (i) 20%प्रधान अध्यापक,माध्यमिक विद्यालय में से (ii) 80% प्राध्यापक में से और वर्ष 2021-22 के लिए पदोन्नति के पश्चात् प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय का शेष पद उप प्राचार्य के रूप में पुनः पदाभिहित किया जायेगा। 3. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,यदि वर्ष 2022-23 के लिए पदोन्नति हेतु पात्र एवं उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सरकार एक बारीय उपाय के रूप में,वर्ष 2022-23 के लिए अपेक्षित अनुभव में 100% तक शिथिलीकरण प्रदान कर सकेगी।
6.	उप प्राचार्य	-	100%	-	प्राध्यापक	स्नातकोत्तर और बी.एड. या वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद	-

						पर 3 वर्ष का अनुभव।	

”

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

4. अनुसूची-III का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-III में खण्ड 1. प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण और खण्ड 2. अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण तथा उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[सं.एफ 1(3) डीओपी/ए-II/ 2021]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, April 28, 2022

G.S.R.13 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes following rules further to amend the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services Rules, 2021,namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services (Second Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 32.-** In sub-rule 2 of rule 32of the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services Rules,2021, hereinafter referred to as the said rules, -

(i) for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted; and

(ii) the existing proviso shall be deleted.

3. **Amendment of schedule-I.-** In schedule-I appended to the said rules, under the heading Group A : Administrative wing,-

(i) in column number 6 against serial number 4, the existing expression ", Senior Secondary School" shall be deleted;

(ii) the existing serial number 5 and 6 and entries thereto shall be substituted by the following namely:-

"

5.	Principal	-	100%	_	Vice-Principal	3 years' experience on the post mentioned in column 6.	1. The post of Headmaster Secondary School stands declared as dying cadre and no further appointment by direct recruitment or promotion shall be made thereon. 2. As a one time measure promotion to the post of Principal for the year 2021-22 shall be made with following breakup:- (i) 20% from Headmaster Secondary School (ii) 80% from Lecturer and after the promotion for the year 2021-22 remaining post of Headmaster Secondary School shall be redesignated as Vice-Principal. 3. Notwithstanding anything contained in these rules, as a one time measure the Government may provide upto 100% relaxation in the required experience for the year 2022-23, if the eligible and suitable persons for promotion for the year 2022-23 are not available.
6.	Vice - Principal	-	100%	-	Lecturer	Post Graduate and B.Ed. or equivalent examination recognized by UGC with 3 years' experience on the post mentioned in column number 6.	

"

(iii) the existing serial number 7 and entries thereto shall be deleted.

4. Amendment of schedule-III.- In schedule-III, appended to the said rules,

the existing clause 1. Scheme and syllabus of examination for the post of Headmaster Secondary School and clause 2. Scheme of examination and syllabus for the post of Additional Block Elementary Education Officer and entries thereto shall be deleted.

[No. F. 1(3)DOP/A-II/2021]

By order and in the name of the Governor,

JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.